हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29-8-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

29-8-23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है, वकील प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 147/23 प्रा०पत्र

1– अमोली देवी D/o श्री लादु गाडरी निवासी- काशीरामजी की खेड़ी त० माण्डल (वगैरा)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री सुरखा S/o श्री उदा गाडरी निवासी- काशीरामजी की खेड़ी तहसील- माण्डल

2- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील- माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 29·08·23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काशीरामजी की खेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 1147/634 कुल किता 01 रकबा 0·5059 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02·08·23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण का अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने को अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीरामजी की खेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1147/634 कुल किता 01 रकबा 0·5059 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलमास को 500·/– रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा [illegible] पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा